का स्थानान्तरण होने तथा पद रिक्त होने से पत्रावली इलतवा होकर ग्राम आदेश की पालना में दि० 27.10.17 को पेश हो।

दिनांक 27.10.17 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उप०। विपक्षान इस वाद प्रकरण में वादीगण के वादपत्र व प्रतिवादीगण के उत्तरवाद के आधार पर न्यायालय द्वारा न्यायहित में अलग से तनकीहात कायम व दरख्तेकिल करार कर आमिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते स्वीकृत वादी हेतु दिनांक 28.11.2017 को पेश हो।

दि० 28.11.17

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब R.O. मीटिंग में पधारे हैं।
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 12.1.2018 को पेश हो।

दि० 12.1.2018 वकील उभय पक्षकारान उप०। वकील वादीगण स्वीकृत वादी हेतु हाजिर नहीं आने से स्वीकृत वादी हेतु स्वीकृत चाहते हैं। न्यायहित में स्वीकृत स्वीकृत वादी की पत्रावली स्वीकृत वादी हेतु दिनांक 19.2.2018 को पेश हो।

दि० 12.2.18 पत्रावली मेजा पर पेश हुई। वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण उप०। वादीगण की ओर से वकील फरमाया कि विपक्षान के बीच में विवाद में पक्षकारान के बीच आपसी समझौता होने से इस वाद को खारिज कराने के लिये नोटपेज किया है। अतः विपक्षान इस वाद को प्रतिवादीगण नोटपेज में चलने योग्य नहीं होने तथा खारिज योग्य होने से आदेश नोटपेज खारिज किया जाता है निर्णय सरे इजलास सुनाया। पत्रावली फैसल हो।

12/2/18

राजीनामा होने से नोटपेज विचारार्थ।

भवदीय
न्यायालय